

न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश-पत्रक


(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

Amended

आदेश पत्रक-ता0.....से

जिला-खगड़िया.....सा0.....सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
27.03.2017	<p>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 768/सी0आर0 दिनांक 04.03.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या-53/2016 दिनांक 18.04.216 धारा-47(ए0) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब-1348.235 ली०, देशी शराब कुल-353.6ली०, वियर-175.05 ली० को सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जाँच उत्पाद रसायण परीक्षक, बिहार पटना से जाँच प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इस काण्ड का अनुसंधान समाप्त है। प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है।</p> <p>अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना काण्ड में जप्त देशी/विदेशी शराब एवं वियर का अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक,खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर/उत्पाद अधीक्षक,खगड़िया का सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>[Signature]</i> समाहर्ता, खगड़िया।</p> <p></p> <p><i>[Signature]</i> समाहर्ता, खगड़िया।</p>	<p><i>570 ab no 30 / बिहार मघनिषेध अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।</i></p> <p><i>पुलिस अधीक्षक, खगड़िया</i></p> <p><i>उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया</i></p> <p><i>बेलदौर थाना अध्यक्ष, खगड़िया</i></p>